

MOST IMMEDIATE
ASSEMBLY BUSINESS
DATE BOUND

Subject:- Authentication of Notifications/Rules which are required to be laid before the State Legislature.

Will all the Financial Commissioners and Principal Secretaries and all the Administrative Secretaries to Government, Haryana kindly refer to the subject noted above?

As you are aware certain rules/notifications/Reports are to be laid before the State Legislature in terms of specific provisions of the relevant acts under which these rules/notifications have been framed/issued and Annual Reports are prepared. Two copies of such rules/notifications/Reports are to be got authenticated from Chief Minister/Minister concerned and sent to Haryana Vidhan Sabha alongwith the requisite copies.

Since the Hon'ble Chief Minister has busy schedule, therefore, it has been decided that where the Chief Minister's authentication is required being Minister-in-Charge of a particular department, such authentication may be got done from Parliamentary Affairs Minister or any of the Minister whosoever is available for the purpose.



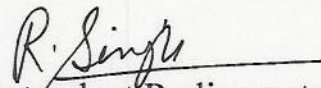
Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

- i) All the Financial Commissioners and Principal Secretaries to Government, Haryana.
- ii) All the Administrative Secretaries to Government, Haryana.

U.O.No.1/6/2004-1PA Dated Chandigarh the 8th January, 2009.

A copy is forwarded to all the Senior Secretary/Secretary/Private Secretary to all the Minister/Ministers of State for the information of the Minister/Ministers of State for information and necessary action.



Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

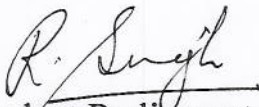
All the Senior Secretary/Secretary/Private Secretary to all the Minister/Ministers of State

MOST IMMEDIATE
ASSEMBLY BUSINESS
DATE BOUND

Subject:- Transaction of Financial business during the next Session of the Haryana Vidhan Sabha.

Will the Financial Commissioner & Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department kindly refer to the subject noted above?

2. It is intimated that the next Session of the Haryana Vidhan Sabha has been summoned from the 2nd February, 2009 at 2.00 P.M. He is, therefore, requested to intimate the details of the financial business to be transacted during the next Session of the Haryana Vidhan Sabha to the Political Department by 16th January, 2009 (upto 2.00 P.M.), so that the programme of the business may be finalised.


Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

The Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana, Finance Department.

U.O.No.1/13/2009-1PA

Dated Chandigarh the 7th January, 2009.

.....

20
2/1/09.

IMMEDIATE
ASSEMBLY BUSINESS

From

The Chief Secretary to Government, Haryana

To

The Director,
Public Relations, Haryana,
Chandigarh.

Memo No. 1/15/2009-1PA

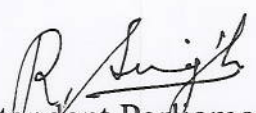
Dated Chandigarh the 7th January, 2009.

Subject:- Forthcoming session of the Haryana Vidhan Sabha -
Obituary Resolutions.

Reference on the subject noted above.

2. Session of the Haryana Vidhan Sabha has been summoned on 2nd February, 2009 at 2.00 P.M. As per past practice, Obituary references are to be made on the opening day. You are, therefore, requested to prepare the resolutions regarding obituary references in respect of the deceased dignitaries who expired after the 3rd September, 2008 i.e. the date on which the last sitting of the Haryana Vidhan Sabha was held and send the same to the Parliamentary Affairs Department up to 20th January, 2009 positively.

3. You are also requested to intimate the name, designation, residential address and telephone number of the officer to be contacted before and after office hours and on holidays as well as during office hours in regard to the resolutions etc.


Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

.....

received
H/S
07/01/09

विधान सभा कार्य/

परम अग्रता

विषय:- हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन-विधान सभा कार्य को तुरन्त निपटाने बारे ।

-:-:-

क्या सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 फरवरी, 2009 को बाद दोपहर 2.00 बजे आरम्भ होगा । अतः इससे सम्बन्धित कार्य प्रत्येक स्तर पर परम अग्रता से किया जाना आवश्यक है । अतः उनसे अनुरोध किया जाता है कि :-

क) वे विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर विधान सभा में समय पर पहुंच जायें । इस सम्बन्ध में उनका ध्यान सचिवालय अनुदेश पुस्तिका प्रथम संस्करण 1989 के पैराग्राफ 346(सी) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देय तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने होते हैं । अतः उनसे अनुरोध है कि इस निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाये । यदि किसी कारणवश उत्तर तैयार करने में देरी हो तो ऐसे हालात में कम से कम 24 घण्टे पूर्व प्रश्न के उत्तर की प्रतियां हरियाणा विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दी जायें । विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा 'नोट फोर दी पैड' में दी गई सूचना हर प्रकार से ठीक होनी चाहिये । इस बारे में कोई चूक न हो । यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों का निजि उत्तरदायित्व होगा । उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि विधान सभा तारांकित प्रश्नों के उत्तर की 135-135 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी) तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर की 80-80 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) विधान सभा को भेजी जानी हैं ।

ख) प्रत्येक विभाग में जिस अधिकारी को विधान सभा के प्रश्नों, ध्यानाकर्षण नोटिसों आदि से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया हो, उसके नाम तथा पद की सूचना (कार्यालय तथा आवास टेलीफोन नम्बर सहित) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जाये ।

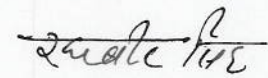
ग) विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, (सिवाय अध्यादेशों के) की 220-220 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक-एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा सचिवालय को समय पर भिजवा दें ।

घ) अध्यादेशों की 220-220 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक-एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा को समय पर भिजवा दें । सम्बन्धित अधिनियम(Bare Act) की 150 प्रतियां बिल के साथ विधान सभा को भेजी जायें

ड.) विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी कागज पत्रों (बिलों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं/रिपोर्ट्स आदि) तथा विधान सभा प्रश्नों/ध्यानाकर्षण नोटिसों/गैर सरकारी प्रस्तावों के उत्तरों की 9-9 प्रतियां मुख्य मंत्री सचिवालय व एक प्रति मुख्य सचिव के निजी सचिव तथा 6-6 प्रतियां मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जाये। इसी प्रकार सरकारी प्रस्ताव/विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण नोटिस आदि के उत्तरों की प्रतियां समय पर विधान सभा में भिजवा दी जाया करें, ताकि वे सदस्यगण को उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो जायें।

च) यह देखने में आया है कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की प्रतियां उन प्रश्नों के उत्तर देने की निर्धारित तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व राजनैतिक शाखा को नहीं भेजी जाती है। कई केसों में तो देखा गया है कि प्रश्नावधि जिसके दौरान उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना होता है प्रातः 9.30/2.00 बजे सांय आरम्भ होता है और प्रश्न के उत्तर की प्रतियां शाखा में कमशः प्रातः 9.15/1.45 बजे सांय उपलब्ध की जाती है। इससे सरकार के लिये बड़ी embarrassing स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षित प्रतियां उन प्रश्नों के उत्तर देने की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व राजनैतिक शाखा में सांय 2.30 बजे तक हर हालत में उपलब्ध करवा दी जाया करें और यदि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव न हो तो उसके कारण लिखित रूप में पांच बजे तक राजनैतिक शाखा को अवश्य सूचित कर दिये जाया करें।

3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों का कृपया दृढ़ता से पालन किया जाये।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

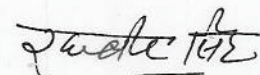
सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009.

पृ0 क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009.

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

विधायी कार्य/

परम अग्रता

विषय:- हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्यक्रम की तैयारी ।

-:-:-:-

क्या सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 फरवरी, 2009 को बाद दोपहर 2.00 बजे बुलाया गया है । उसकी तैयारी के सिलसिले में वे कृपया अपने अधीन सभी विभागों से सम्बन्धित विधायी कार्य के बारे में तुरन्त जांच करवा लें तथा जिस भी नये अधिनियम की आवश्यकता हो या जिस किसी अधिनियम में संशोधन करना हो, उसके प्रस्ताव को तुरन्त अंतिम रूप दें और बिना किसी विलम्ब के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये । उनसे यह भी अनुरोध है कि इस सत्र के दौरान उनके विभागों से सम्बन्धित जो भी सूचनायें व अन्य कागज पत्र विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हैं उन पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये और इस बारे में राजनैतिक शाखा को दिनांक 16 जनवरी, 2009 को 2.00 बजे सांय तक अवश्यमेव सूचित किया जाये ।

3. उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित बिलों/विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कागजों की 6-6 प्रतियां तथा मांगी गई अन्य सूचना राजनैतिक शाखा को विशेष वाहक द्वारा अवश्य भिजवा दी जाये ताकि सरकारी विधायी कार्यक्रम तैयार करने में देरी न हो । यह सूचना न आने पर यह समझ लिया जायेगा कि उन द्वारा कोई सूचना नहीं दी जानी है और बाद में यदि किसी स्तर पर यह ध्यान में आया कि विधान सभा को भेजी जाने वाली सूचना विधान सभा को नहीं भेजी गई तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं पर होगी । बिलों के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचना अवश्य दी जाये:-

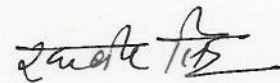
1. बिल का टाइटल ।
2. बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का संक्षिप्त विवरण ।
(यह सूचना देनी अत्यावश्यक है)
3. क्या बिल मनी बिल है या नहीं ?
4. क्या बिल राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर तैयार किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो अध्यादेश का ठीक टाइटल बताया जाये व अध्यादेश की प्रतियां भी साथ लगाई जायें ।
5. क्या बिल का प्रारूप विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है, या नहीं, यदि नहीं तो प्रारूप तैयार किये जाने में कितना समय लगेगा ?
6. यदि बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये सक्षम

4. हरियाणा विधान सभा विधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जाना होता है । यदि किसी कारण 15 दिन का नोटिस या विधेयक को विधान सभा में कम से कम 15 दिन पहले भेजना सम्भव न हो तो इसके कारण विशेष रूप में विधान सभा को विधेयक भेजते समय स्पष्ट किये जायें । यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे हालात में विधेयक विधान सभा सचिवालय को कम से कम 5 दिन पूर्व अवश्य भेज दिये जायें ताकि विधान सभा सचिवालय द्वारा विधेयक, सदस्यों के बीच, समय रहते परिचालित किया जा सके ।

5. राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेशों की 220-220 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी में) एक-एक प्रमाणित प्रति सहित सदन में प्रस्तुत करने हेतु सचिव, हरियाणा विधान सभा को तुरन्त भिजवा दी जायें, यदि पहले न भेजी गई हों । मूल अधिनियम की (Bare Act) की 220-220 प्रतियां विधान सभा को अवश्य भेजी जायें ।

6. यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि विधान सभा में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना हो तो विधेयक 'नोटिस आफ मोशन' के साथ अनुबन्ध के रूप में संशोधित किये जाने वाले मूल अधिनियम की (Bare Act) की 5-5 प्रतियां विधान सभा को अवश्य भेजी जायें ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009.

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।

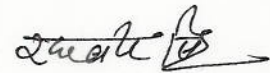
दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009.

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 फरवरी, 2009 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,

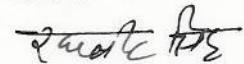


अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. सभी वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा
2. सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा

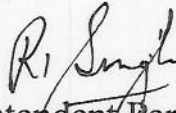
2. सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

MOST IMMEDIATE
ASSEMBLY BUSINESS
DATE BOUND

Subject:- Legislative Business/Bills to be sponsored in the next Session of the Haryana Vidhan Sabha to be held on 2nd February, 2009.

Will all the Financial Commissioners and Principal Secretaries and all the Administrative Secretaries to Government, Haryana kindly refer to the subject noted above?

It is intimated that the Session of the Haryana Vidhan Sabha has been summoned to meet in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh on 2nd February, 2009 at 2.00 P.M. They are requested to intimate the details of the Legislative Business/Bills proposed to be sponsored by the Departments in the next Session of the Haryana Vidhan Sabha to the Political Department. The above information may please be sent by 16th January, 2009 (upto 2.00 P.M.) positively.


Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

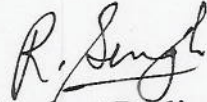
- i) All the Financial Commissioners and Principal Secretaries to Government, Haryana.
- ii) All the Administrative Secretaries to Government, Haryana.

U.O.No.1/2/2009-1PA Dated Chandigarh the 7th January, 2009.

Endst. No. No.1/2/2009-1PA Dated Chandigarh the 7th January, 2009.

A copy is forwarded to the Legal Remembrancer & Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department for information and necessary action.

2. He is requested to intimate the Ordinances issued/Bills drafted after the prorogation of the last session of the Haryana Vidhan Sabha on 3rd September, 2008 by 16th January, 2009 (upto 2.00 P.M.) positively.


Superintendent Parliamentary Affairs,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

.....

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

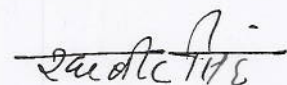
-:-:-

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 फरवरी, 2009 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

है ।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।



अधीक्षक संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2008.

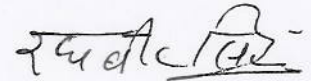
विधान सभा कार्य

विषय:- महामहिम राज्यपाल के विधान सभा में अभिभाषण के समय, की जाने वाली कार्यवाही बारे ।

-:-:-

क्या सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 2 फरवरी, 2009 को बाद दोपहर 2.00 बजे आरम्भ हो रहा है । उनके अभिभाषण के समय सभी प्रशासकीय सचिव अपने-2 विभागाध्यक्षों के साथ उपस्थित रहेंगे । हरियाणा विधान सभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय आगमन तथा प्रस्थान के समय तथा अभिभाषण से पूर्व वन्दे मातरम् तथा अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रीय गान की धुन के समय विधान सभा के सदस्यगण एवं सरकारी गैलरी में उपस्थित अधिकारीगण/आगन्तुक, गैलरी व प्रैस गैलरी में उपस्थित अधिकारी/व्यक्ति, महामहिम राज्यपाल/राष्ट्रीयगान के सम्मान में खड़े होंगे । अतः अनुरोध है कि इन हिदायतों का विधान सभा अधिवेशन के दौरान उपस्थित सभी अधिकारीगण/व्यक्ति दृढ़ता से पालन करें ।



अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

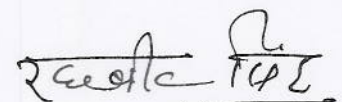
सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा तथा
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 1/3/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009

पृष्ठांकन क्रमांक 1/3/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।



अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सचिव/राज्यपाल, हरियाणा, चण्डीगढ़ व सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

रघुवीर सिंह

अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 1/3/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2009

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

रघुवीर सिंह

अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

<<0>>